

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर

क्रमांक:-ए.4()लेखा/राज्य निधि/2023-24/

दिनांक:-

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
सवाई माधोपुर, सिरोही, बीकानेर,
हनुमानगढ, छबडा (बारा)।

विषय:- आरएमआरएस की प्राप्तियों एवं व्यय की सूचना भिजवाने बाबत।
संदर्भ:- कार्यालय के पत्र क्रमांक 2264-65 दिनांक 20.04.2023, 2608-15
दिनांक 03.05.2023, 269 दिनांक 10.07.2023 एवं 4572 दिनांक
26.07.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के द्वारा विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में संचालित आरएमआरएस की वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों एवं व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 31.07.2023 तक भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था परंतु आप द्वारा आदिनांक तक हार्डमय सॉफ्टकॉपी में प्रेषित नहीं की गई है, जो कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

अतः आपको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में आगामी 07 कार्य दिवसों में हार्डमय सॉफ्टकॉपी (famh-rj@nic.in) में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न:- निर्धारित प्रपत्र।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-ए.4(1)लेखा/राज्यनिधि/2023-24/5117

दिनांक:- 28.8.23

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना प्रेषित करवाये जाने की कार्यवाही करें।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।

(5)

निदेशक (जन-स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र

क्र. सं.	चिकित्सालय का नाम	01 अप्रैल 2022 को प्रा० शेष	01 अप्रैल 2022 से 31.03.2023 तक कुल प्राप्तियां	योग	01.04.2022 से 31.03.2023 तक RMRS का व्यय	31.03.2023 का शेष
1	2	3	4	5	6	7

वर्ष में MMCSBY के पेकेज की प्राप्त राशि	MMCSBY से प्राप्त राशि से राजकोष में जमा करायी गयी राशि	कम राशि जमा कराये जाने के कारण	विशेष विवरण
8	9	10	11